



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0/10391 / 06-156-प्र.अनु.-2010/2016,

दिनांक : 26 जुलाई, 2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
माँ मत्तुरनी देवी महाविद्यालय,
चन्दासीह,
बलिया।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य तथा स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं भूगोल विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 17.06.2016 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुखीकृत विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
1.	डॉ० मुक्ताेश्वर मिश्र	श्री कपिलदेव मिश्र	01.03.1960	पी०एच०डी०	प्राचार्य
2.	श्री योगेन्द्र	श्री रामदरश	21.07.1982	नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र
3.	श्री अरविन्द कुमार	श्री रामाश्रय	16.03.1984	नेट	प्रवक्ता भूगोल

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्राचार्य एवं प्रवक्ता को तथा एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
- परीक्षा नियंत्रक, मा०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0/10391 / 06-156-प्र.अनु.-2010/2016.

दिनांक : 26 जुलाई, 2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
माँ मतुरनी देवी महाविद्यालय,
चन्दाडीह,
बलिया।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य तथा स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं भूगोल विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 17.06.2016 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के संदर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
1.	डॉ० मुक्तेश्वर मिश्र	श्री कपिलदेव मिश्र	01.03.1960	पी०एच०डी०	प्राचार्य
2.	श्री योगेन्द्र	श्री रामदरश	21.07.1982	नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र
3.	श्री अरविन्द कुमार	श्री रामाश्रय	16.03.1984	नेट	* प्रवक्ता भूगोल

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्राचार्य एवं प्रवक्ता को तथा एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
- परीक्षा नियंत्रक, मा०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव



पत्रांक : 11040/स0- 2 B स0अ0 / 1333 / 06-156-सं0वि0-2013/2013. दिनांक: 30 सितम्बर, 2013

सेवा में

प्रबन्धक,
माँ मत्तुरनी देवी महाविद्यालय,
चन्दाडीह,
बालिया।

विषय :- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत चयनित प्रवक्ताओं की संविदा विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 26.08.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 11.01.2008 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कुलसचिव वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पत्रांक-पू0वि0वि0/सम्बद्धता/11(तीन)/2009/5069 दिनांक 16.01.2009 द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं की प्रबन्ध समिति की संस्तुति दिनांक 10.07.2013 के क्रम में प्रवक्ता पद पर संविदा विस्तारण के लिए मा0 कुलपति जी द्वारा उनके नाम के सम्मुखान्कित तिथि से आगामी 5 वर्षों के लिए किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है-

क्र0	नाम	पिता का नाम	पदनाम	संविदा विस्तारण की तिथि
1	डॉ0 संगीता थादव	श्री राम चन्द्र थादव	प्रवक्ता हिन्दी	16.07.2013 से पाँच वर्ष
2	श्री कमल प्रकाश	श्री अभय नारायण	प्रवक्ता संस्कृत	16.07.2013 से पाँच वर्ष
3	श्री विनय कुमार राजभर	श्री तीर्थ राजभर	प्रवक्ता राजशास्त्र	16.07.2013 से पाँच वर्ष
4	डॉ0 सत्येन्द्र कुमार	श्री राम नन्दन प्रसाद	प्रवक्ता प्राचीन इतिहास	16.07.2013 से पाँच वर्ष
5	श्री हरे कृष्ण पांडे	श्री जवाहर लाल पांडे	प्रवक्ता भूगोल	16.07.2013 से पाँच वर्ष

अनुबन्ध पत्र में प्रवक्ता को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रवक्ता के लिए अनुदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्रविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
30/09/13
(सुभाष चन्द्र वर्मा)
सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. परीक्षा-नियंत्रक, मा0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

(सुभाष चन्द्र वर्मा)
सहायक कुलसचिव



पत्रांक 330कु0स0- 2 B सं0अ0/50/2 /06-156-2010-2003/2015, दिनांक: 22 जुलाई, 2015

सेवा में,

प्रबंधक,
माँ मत्तुरनी देवी महाविद्यालय,
चन्दाडीह, बलिया।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय (कला संवर्ग) के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के संविदा विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 24.06.2014 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 एवं सपठित शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में विश्वविद्यालय के पत्रांक-कु0स0-सम्ब0/06/1156/(प्र0अनु0)/2011 दिनांक 29 मई, 2011 द्वारा पाँच वर्षों हेतु अनुमोदित प्रवक्ताओं का संविदा विस्तरण प्रबन्ध समिति की संस्तुति दिनांक 08.04.2014 के क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार उनके नाम के सम्मुखान्तित तिथि से आगामी 5 वर्षों के लिए किया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	विषय	पूर्व संविदा समाप्ति तिथि	नयी संविदा प्रारम्भ की तिथि
1.	श्री साहब लाल वर्मा	श्री जगदीश वर्मा	01.01.1960	प्रवक्ता समाजशास्त्र	13.04.2014	14.04.2014 से पाँच वर्ष
2.	डॉ० राकेश कुमार वर्मा	श्री राम अवध वर्मा	15.12.1978	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र	13.04.2014	14.04.2014 से पाँच वर्ष

उपर्युक्त प्रवक्ता का संविदा विस्तरण इस प्रतिबंध के साथ किया जाता है कि उनके लिए देय अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा पुनः नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ ।
2. कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. परीक्षा नियंत्रक, मा०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

सहायक कुलसचिव